रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938
No. 75] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

IndiaCode

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

का.आ. 85(अ).—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं दिनांक 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मत्रालय के दिनांक 18 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2576 (अ.) के स्थान पर इस अधिसूचना से पूर्व की गई या की जाने के लिए हटायी गई बातों के सिवाय केन्द्र सरकार उद्योग आधार ज्ञापन के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के पश्चात् निर्धारित करती है कि कोई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार इस अधिसूचना के संलग्न फॉर्म I में उद्योग आधार ज्ञापन (इसे इसके पश्चात् ज्ञापन कहा गया है) फाइल करेगा, नामतः

(1) ज्ञापन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट http://udyogaadhar.gov.in पर ऑनलाइन फाइल किया जाएगा;

(2) उक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित सीमा से नीचे के संयत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश से वस्तुओं के विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) अथवा सेवा देने में लगे प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ज्ञापन फाइल करेगा;

(3) इस ज्ञापन को इकाई की स्थापना करने, सभी विनियामक (रेगुलेटरी) अनुमोदन प्राप्त करने एवं वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के पश्चात् ही फाइल किया जाएगा;

(4) विनिर्माण अथवा सेवा अथवा दोनों सहित एक से अधिक श्रेणियों का इस ज्ञापन में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(5) स्वामित्व-फर्म के मामले में स्वामी, साझेदारी फर्म के मामले में प्रबंध साझेदार तथा हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मामले में कर्ता ज्ञापन में अपनी आधार संख्या देगा;

(6) कम्पनी अथवा सीमित देयता साझेदारी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) अथवा सहकारी समिति अथवा सोसाइटी अथवा न्यास के मामले में प्राधिकृत (ऑथोराइज्ड) हस्ताक्षरी की आधार संख्या के साथ संगठन का स्थायी खाता संख्या (पैन) का ज्ञापन में उल्लेख किया जाएगा;

(7) नये ज्ञापन के सत्यापन तथा मौजूदा ज्ञापन के संशोधन के लिए एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) आवेदक की आधार संख्या से जुड़े मोबाइल फोन पर भेजा जाएगा और आवेदक ज्ञापन प्रस्तुत करने से पूर्व फॉर्म में ओटीपी दर्ज करेगा;

(8) ज्ञापन स्वघोषणा आधार पर फाइल किया जाएगा तथा ऐसी फाइलिंग के समय कोई अतिरिक्त दस्तावेज अपेक्षित नहीं है: बशर्ते कि केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा इसके लिए प्राधिकृत ऐसा व्यक्ति जहाँ कहीं आवश्यक हो, ज्ञापन में दी गई सूचना का दस्तावेजी सबूत मांग सकता है;

(9) उद्योग आधार संख्या (यूएएन) के साथ-साथ इस अधिसूचना के फॉर्म II में उद्योग आधार पावती (अकनॉलेजमेंट) सृजित की जाएगी तथा उसे ज्ञापन में प्रदत्त ई-मेल पते पर मेल किया जाएगा;

(10) उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा;

(11) यदि आवेदक अथवा प्राधिकृत हस्ताक्षरी के पास आधार संख्या नहीं है अथवा यदि किसी कारण से आवेदक के लिए ऑनलाइन फाइलिंग संभव नहीं है तो वहाँ पर विधिवत् भरे हुए फॉर्म I की हार्डकॉपी सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी) अथवा विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अधीनस्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास संस्थान (एमएसएमईडीआई) कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी तथा संबंधित जिला उद्योग केन्द्र अथवा सूलमउ विकास संस्थान ऐसे उद्यम की ओर से ऑनलाइन उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करेगा;

(12) विद्यमान उद्यमियों जिन्होंने उद्यमिता ज्ञापन II फाइल किया है अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) लागू होने से पूर्व लघु उद्योग पंजीकरण धारकों को उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करना अपेक्षित नहीं होगा, लेकिन यदि वे ऐसा चाहते हैं तो वे भी उद्योग आधार ज्ञापन फाइल कर सकते हैं;

(13) कोई भी उद्यम एक से अधिक ज्ञापन फाइल नहीं करेगा;

(14) पते में परिवर्तन अथवा उद्यमों द्वारा श्रेणियों में परिवर्धन (एडीशन) अथवा विलोपन (डिलीशन) अथवा अन्य परिवर्तनों के मामले में स्वामी अथवा प्रबंध साझेदार अथवा प्राधिकृत व्यक्ति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट http://udyogaadhar.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन उद्योग आधार फॉर्म की फाइलिंग के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यमान ज्ञापन के संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। उद्योग आधार ज्ञापन में संशोधन की प्रक्रिया वहीं होगी जो नया ज्ञापन फाइल करने के लिए है;

(15) संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को उद्यम द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के सत्यापन की जाँच करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तथा किसी विसंगति के मामले में वह उद्यम को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर देते हुए सूचना देगा और निष्कर्षों के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी ज्ञापन को संशोधित अथवा रद्द कर सकता है;

(16) यूएएम पंजीकरण सभी उद्देश्यों के लिए उद्यमिता ज्ञापन II (ईएम-II) तथा लघु उद्योग पंजीकरण (एसएसआई रजिस्ट्रेशन) को प्रतिस्थापित (रिप्लेस) करता है। केन्द्र अथवा राज्य सरकार के विनियामक निकाय (रेग्यूलेटरी बॉडी), कर प्राधिकरण (टैक्स ऑथोरिटी), जल, बिजली आदि उपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियां, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा इस प्रकार के अन्य संगठनों को सभी प्रयोजनार्थ ईएम-II के स्थान पर यूएएम स्वीकार करना चाहिए। पहले उद्यम स्थापित करने से पूर्व उद्यम ज्ञापन-I (ईएम-I) पंजीकरण प्राप्त करने का प्रावधान था। आवेदक उपयोगी सेवाएं प्राप्त करने, स्थानीय निकायों से भवन नक्शा अनुमोदन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना हेतु सहमति अथवा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक अथवा वित्तीय संस्था से सावधि ऋण के लिए आवेदन फाइल करते समय ईएम-I की प्रति साथ लगाते थे। उद्यम द्वारा वाणिज्यिक संचालन शुरू के बाद यूएएम पंजीकरण दिया जाता है। अब उद्यम स्थापित करने से पहले कोई पंजीकरण नहीं होता है। ईएम-I पंजीकरण की पद्धति बंद कर दी गई है। ईएम-I का कोई प्रतिस्थानी (काउंटर पार्ट) दस्तावेज नहीं है। इसीलिए उपयोगी सेवाएं, स्थानीय निकाय,

विनियामक निकाय, कर प्राधिकरण , बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं और अन्य इस प्रकार के संगठनों को उद्यम स्थापित करने वाले आवेदकों से ईएम-I नहीं मांगना चाहिए।

[फा.सं. ए-54/1/2014-सीडीएन]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

फार्म I

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार Udyog Aadhaar

	उद्यम का प्रकार	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
	विनिर्माण	क	ख	ग
	सेवा	घ	ङ	च

उद्योग आधार ज्ञापन

1	आधार संख्या				
2.	उद्यम का पैन नम्बर*				
3	उद्यमी का नाम				
4	सामाजिक श्रेणी	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य
5	लिंग	पुरूष		स्त्री	
6	दिव्यांग	हाँ		नहीं	
7	उद्यम का नाम				
8	संगठन का प्रकार **				
9	संयंत्र/उद्यम का पता	फ्लैट/डोर/ब्लॉक सं.			
		परिसर/भवन/गाँव का नाम			
		रोड/स्ट्रीट/लेन		क्षेत्र/स्थान	
		शहर		पिनकोड	
		राज्य		जिला	
10	उद्यम के कार्यालय का पता				
		जिला		राज्य	पिन
	कृपया आधार अनुसार मोबाइल संख्या दें जिससे ओटीपी भेजी जाती है।	मोबाइल नः		ई-मेलः	
11	आरम्भ होने की तिथि				
12	पूर्व पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो	एसएसआई			
		ईएम-1			
		ईएम-2			
13	बैंक खाते का विवरण	आईएफएस कोडः			
		बैंक खाताः			
14	प्रमुख गतिविधि	विनिर्माण		सेवा	
15	राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण कोड				
16	उद्यम में कर्मचारियों की संख्या				
17	निवेश (संयंत्र और मशीनरी/उपकरण)				

IndiaCode

18	जिला उद्योग केन्द्र	

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सही है। कोई सूचना जिसको सत्यापित किया जाना अपेक्षित हो, उसे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रस्तुत करें

*किसी कंपनी या लिमिटेड देयता साझेदारी या सहकारी समिति या समिति या न्याय के मामले में

**(1) स्वामित्व, (2) हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), (3) साझेदारी, (4) सहकारी, (5) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, (6) सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी, (7) स्व सहायता समूह, (8)अन्य

फार्म II

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार Udyog Aadhaar

	उद्यम का प्रकार	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
	विनिर्माण	क	ख	ग
	सेवा	घ	ङ	च

उद्योग आधार मैमोरैण्डम् रसीद

उद्योग आधार संख्या										

उद्यम का नाम			
संयंत्र/उद्यम का पता	फ्लैट/डोर/ब्लॉक सं.		
	परिसर/भवन/गाँव का नाम		
	रोड/स्ट्रीट/लेन	क्षेत्र/स्थान	
	शहर	पिनकोड	
	राज्य	जिला	
कार्यालय का पता			
	जिला	राज्य	पिन
	मोबाइल. न.	ईमेलः	
आरम्भ करने की तारीख			
मुख्य गतिविधि	विनिर्माण	सेवा	
उद्यम का प्रकार	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण कोड			
पूर्व पंजीकरण का ब्योरा - यदि कोई हो	एसएसआई		
	ईएम-1		
	ईएम-2		
रसीद	फाइल करने की तारीख	मुद्रण की तारीख	

डिसक्लेमर: यह कम्प्यूटर सृजित विवरण है, हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। udyogaadhaar.gov.in से मुद्रित किया गया

IndiaCode

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2017

S.O. 85(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O.2576(E), dated the 18th September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 21st September, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after undertaking a review of the implementation of Udyog Aadhaar Memorandum, hereby specifies that any micro, small and medium enterprise shall file Udyog Aadhaar Memorandum(hereafter, referred to as the memorandum) in Form I appended to this notification in accordance with the following procedure, namely:-

(1) The memorandum shall be filed online on the website of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India at http://udyogaadhar.gov.in ;

(2) Every micro, small and medium engaged in the manufacturing of goods or rendering of services with total investment in plant and machinery below the limit specified in section 7 of the said Act, shall file the memorandum;

(3) The memorandum shall be filed only after establishing the unit, obtaining all regulatory approvals and starting commercial operations;

(4) Any number of activities including manufacturing or service or both may be specified in the memorandum;

(5) The proprietor in the case of a proprietorship firm, managing partner in the case of a partnership firm and a karta in the case of a Hindu Undivided Family(HUF), shall provide his Aadhaar Number in the memorandum;

(6) In case of a company or a limited liability partnership or a cooperative society or a society or a trust, Permanent Account Number(PAN) of the organisation along with Aadhaar number of the authorised signatory shall be specified in the memorandum;

(7) A one time password (OTP) for verification of the fresh memorandum as well as amending of the existing memorandum shall be sent on mobile phone linked to the Aadhaar Number of the applicant and the applicant shall enter the OTP in the form before submitting the memorandum;

(8) The memorandum shall be filed on self certification basis and no additional document is required to be uploaded at the time of such filing: Provided that the Central Government or the State Government or such person as may be authorized in this behalf may seek documentary proof of the information provided in the memorandum, wherever necessary;

(9) Udyog Aadhaar Acknowledgement in Form II to this notification along with a unique Udyog Aadhaar Number (UAN) shall be generated and mailed to the email address provided in the memorandum;

(10) There shall be no fee for filing the Udyog Aadhaar Memorandum;

(11) In case an applicant or the authorised signatory does not have Aadhaar Number or in cases where online filing is not possible for any reason, a hard copy of the duly filled form I, shall be submitted to the concerned District Industries Center (DIC) or to the Office of the Micro, Small & Medium Enterprise – Development Institute (MSME-DI) under the Development Commissioner, MSME and the concerned DIC or MSME-DI shall file the Udyog Aadhaar Memorandum online, on the behalf of such enterprise;

(12) Existing enterprises which have filed Entrepreneurship Memorandum-II or the holders of Small Scale Industry registration, prior to the coming into force of the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 (27 of 2006) shall not be required to file Udyog Aadhaar Memorandum, but if they so desire they may also file the Udyog Aadhaar Memorandum;

IndiaCode

(13) No enterprise shall file more than one memorandum;

(14) In case of change in address or addition or deletion of activities by the enterprises or for other changes, the proprietor or the managing partner or an authorized person may apply for amendment of the existing memorandum in accordance with the guidelines for filing the online Udyog Aadhaar Form provided in the website of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, at http://udyogaadhaar.gov.in. The procedure for amendment in the Udyog Aadhaar Memorandum would be same as that for filing new Memorandum;

(15) General Manager of the District Industries Center of the concerned district shall be authorised to undertake enquiry for verifying the memorandum submitted by the enterprise and in case of any discrepancy, he shall issue a notice to the enterprise, giving it an opportunity to present its case and based on the findings, the authorised officer may amend or cancel the memorandum;

(16) UAM registration has replaced Entrepreneurship Memorandum-II (EM-II) and Small Scale Industry Registration for all purposes. Central or State Government regulatory bodies, tax authorities, utilities providing water, power, etc. banks and other financial institutions and similar organisations should accept UAM in place of EM – II for all purposes. Earlier there was a provision to take Enterprise Memorandum-I (EM-I) registration before setting up an enterprise. Applicants used to file applications for obtaining utilities, building plan approval from local bodies, consent to establish from State Pollution Control Board or applying for term loan from bank or a financial institution to set up the enterprise along with a copy of EM-I. UAM registration is given after an enterprise starts commercial operations. Now there is no registration before establishing an enterprise. The practice of EM-I registration is stopped. There is no counterpart document to EM-I. Therefore, utilities, local bodies, regulatory bodies, tax authorities, banks and financial institutions and other similar bodies should not ask for EM-I from the applicants who want to set up an enterprise.

[F. No. A–54/1/2014–CDN]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

FORM-I

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार Udyog Aadhaar

	Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
	Manufacturing	A	B	C
	Service	D	E	F

Udyog Aadhaar Memorandum

1	Aadhaar Number				
2	PAN Number*				
3	Name of Entrepreneur				
4	Social Category	SC	ST	OBC	General
5	Gender	Male	Female		
6	Physically Handicapped	Yes	No		
7	Name of Enterprise				

8	Type of Organisation **			
9	Location of Plant(s)/Enterprise(s)	Flat/Door/Block No.		
		Name of Premises/Building/ Village		
		Road/Street/ Lane	Area/Locality	
		City	Pin Code	
		State	District	
10	Official Address of Enterprise Please enter mobile number as in aadhaar for which OTP to be sent			
		District	State	Pin
		Mobile No:	Email:	
11	Date of commencement			
12	Previous Registration Number-if any	SSI		
		EM-1		
		EM-2		
13	Bank Details	IFS Code:		
		Bank Account:		
14	Major Activity	Manufacturing	Service	
15	National Industry Classification Code			
16	Persons employed			
17	Investment (Plant and Machinery / Equipment's)			
18	District Industries Centre			

Declaration

I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information, that may be required to be verified, shall be provided immediately before the concerned authority.

Submit

***** In case of a company or a limited liability partnership or a cooperative society or a society or a trust.

**(1) Proprietary, (2) Hindu Undivided Family (HUF), (3) Partnership, (4) Co-Operative, (5) Private Limited Company, (6)Public Limited Company, (7)Self Help Group, (8) Others

IndiaCode

FORM-II



	Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
	Manufacturing	A	B	C
	Service	D	E	F

Udyog Aadhaar Acknowledgement

Udyog Aadhaar Number												
Name of Enterprise												
Location of Plant(s)/Enterprise(s)	Flat/Door/Block No.											
	Name of Premises/Building/ Village											
	Road/Street/ Lane								Area/Locality			
	City								Pin Code			
	State								District			
Official Address of Enterprise												
	District			State					Pin			
	Mobile No:						Email:					
Date of Commencement												
Major Activity	Manufacturing								Service			
Enterprise Type	Micro		Small			Medium						
National Industry Classification Code(s)												
Previous Registration Number-if any	SSI											
	EM-1											
	EM-2											
Acknowledgement	Date of Filing						Date of Printing					

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from udyogaadhaar.gov.in

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.01.12 14:49:42 +05'30'